न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

66 III/निग0/सतना/भू-रा0/2017/2336

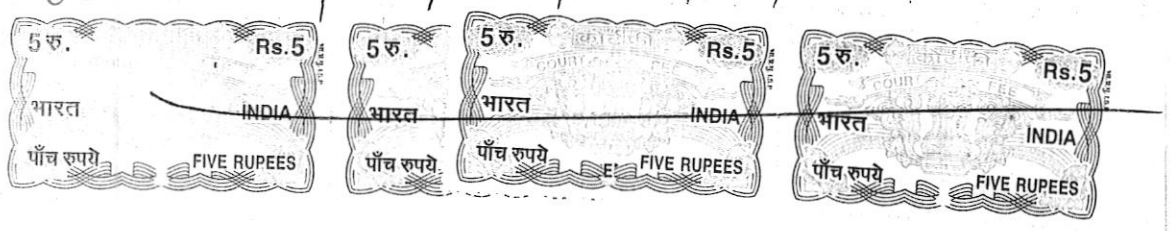

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.40/-

अमित–सुमित यादव नाबालिकान संरक्षिका माँ श्रीमती रानी यादव पत्नी कमला प्रसाद यादव निवासी तिघरा तहसील बिसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 ----------------------------------निगराकार

बनाम

1. प्यारेलाल पाल पिता रामकिशोर पाल निवासी बदखर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय,मझगवां सतनाम0प्र0–**गैरनिग.गण**

अधि0श्री आर.एल. त्रिपाठी द्वारा पेश/22.7.17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता1959 निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय मझगवां जिला सतना म0प्र0

क्लर्क आफ कोर्ट

मान्यवर,

प्रार्थी/निगराकार निम्न विन्दुओ पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:–

1. यह कि निगराकारगण उपरोक्त दर्शित पते के निवासी है, व नाबालिकान संरक्षिका माँ मजदूरी एवं कृषि कार्य करती है।

2. यह कि नाबालिकान निगराकार की संरक्षिका माँ द्वारा गैरनिगराकार क्र0–2 अर्थात अधीनस्थ अनुविभागीय न्यायालय में निगरानी विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी, जो कि अंतिम तक पर चल रही थी।

3. यह कि गैरनिगराकार क्र0–1 द्वारा दिनांक 27.04.2017 को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि निगराकारगणो द्वारा दीवानी दावा प्रस्तुत कर रखा है, जिस कारण निगरानी विरूद्ध अपील को खारिज कर दिया जाय, जो कि निगराकारगणो के जवाब हेतु अगली पेशी दिनांक 09.05.2017 नियत थी।

क्रमशः---2

22-7-017

रानीयादव

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सतना/2017/भूरा/2336

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एल0 त्रिपाठी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मझगवां जिला सतना के प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 29.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण में समय की मांग की थी लेकिन कई अवसर प्रदान करने के बाद भी वह तर्क के लिये बार–बार समय चाहता रहा। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से वह समय चहा रहा है। 3– अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण आदेशार्थ किया जा चुका है इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है। 4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मझगवां जिला सतना के प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 29.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।	

राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य